



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 2010/अग्रहायण 25, 1932

No. 681]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2010/AGRAHAYANA 25, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 982(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (छठा संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के प्ररूप-ग में "सामान्य शर्तों" से संबंधित क्रम सं. 3 में मद (viii) स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“इस अनुमोदन की विधिमान्यता विकासकर्ता को जारी अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि के साथ ही समाप्त होगी और प्रत्येक छह मास के लिए कार्यान्वयन की प्रगति की सूचना भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी”।

[फा. सं. सी. 6/11/2009-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किये गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नानुसार संशोधन किए गए :—

क्र.सं.	सा.का.नि.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.	तारीख
1.	470(अ)	10 अगस्त, 2006	7.	562(अ)	3 अगस्त, 2009
2.	393(अ)	16 मार्च, 2007	8.	501(अ)	14 जून, 2010
3.	1744(अ)	12 अक्टूबर, 2007	9.	597(अ)	12 जुलाई, 2010
4.	2331(अ)	14 नवम्बर, 2008	10.	762(अ)	7 सितम्बर, 2010
5.	72(अ)	3 फरवरी, 2009	11.	784(अ)	28 सितम्बर, 2010
6.	1293(अ)	20 मई, 2009	12.	930(अ)	10 नवम्बर, 2010

